



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227440
CG-DL-E-10062021-227440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]
No. 316]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 08, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 08, 2021/JYAISTHA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

सा.का.नि. 394(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 57(अ), तारीख 29 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 29 जनवरी, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 11 के उपनियम (1) में खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“च. ईंधन दक्ष चालन तकनीक का ज्ञान और समझ होना;” ।

3. उक्त नियमों में, नियम 14 में, खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“च. नियम 31ड. के अनुसार प्ररूप 5ख में प्रत्यायन चालक प्रशिक्षण केन्द्र से प्रमाण पत्र, यदि कोई है।” ।

4. उक्त नियमों में, नियम 15 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु प्ररूप 5ख में प्रमाण पत्र धारक को चालन परीक्षण की अपेक्षा से छूट दी जाएगी” ।

5. उक्त नियमों में नियम 31क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“31ख. प्रत्यायन प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्र- (1) कोई व्यक्ति केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट किसी परीक्षण एजेंसी की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकृत एजेंसी या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्ररूप 11क में किसी प्रत्यायन के बिना मोटर यान चालन के लिए अनुदेश देने हेतु कोई प्रत्यायन प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं करेगा या उसका रखरखाव नहीं करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रत्यायन प्रदान करने या नवीकरण के लिए प्ररूप 12क या प्ररूप 13क में, यथास्थिति उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा और नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस संलग्न की जाएगी ।

(3) पदाभिहित प्राधिकारी, इस नियम के अधीन कोई प्रत्यायन प्रदान करने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन पर विचार करते समय, निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:-

I. आवेदक या उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारिवृंद अच्छे नैतिक चरित्र वाले हैं और चालन अनुदेश देने के लिए अर्हित हैं ;

II. आवेदक, निम्नलिखित न्यूनतम अवसंरचना और अन्य अपेक्षाएं रखता है, अर्थात्:-

(क) वह परिसर जहां केन्द्र को चलाने का प्रस्ताव है, या तो आवेदक के स्वामित्व में है या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया है या उसके नाम में भाड़े पर लिया गया है, जिसका निम्नलिखित क्षेत्रफल और चालन अनुदेश प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यानों के लिए पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र के अतिरिक्त, पर्याप्त अवसंरचना भी है :-

(i) दुपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर यान के लिए चालक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्यायन हेतु न्यूनतम एक एकड़;

(ii) दुपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर यान, मध्यम और भारी यात्री/माल यान या ट्रेलर आदि के लिए चालक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्यायन हेतु न्यूनतम दो एकड़;

(ख) यातायात नियमों और विनियमों, चालन प्रक्रियाओं, यान तंत्र, जन संपर्क और प्राथमिक चिकित्सा पर थ्योरी कक्षाएँ या पाठ आयोजित करने के लिए कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जैसे शिक्षण सहायक सामग्री युक्त दो कक्षा कक्ष;

(ग) यानों (हल्के मोटर यान और भारी मोटर यान) के दोनों वर्गों के लिए साइम्यूलेटर;

(घ) ब्राडबैंड कनेक्टिविटी ;

(ड.) पार्किंग, पश्च चालन, ढलानों पर चालन आदि कौशल हेतु प्रशिक्षणार्थियों के लिए अभ्यास कराने हेतु चालन ट्रैक जिसमें टेढ़ा-मेढ़ा, चढ़ावदार, 8-आकार, विपरीत समानांतर पार्किंग, पश्च S-परीक्षण ट्रैक भी है ;

(च) दुपहिया यानों के मामलों को छोड़कर, दोहरे नियंत्रण के साथ प्रत्येक वर्ग का कम से कम एक यान ;

(छ) प्रदर्शन के साथ कार्यशाला;

(ज) बायो मेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, योग्य प्रशिक्षक, ई-भुगतान, वास्तविक समय मूल्यांकन, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त कर्मचारिवृंद संसाधन (शिक्षण कर्मचारिवृंद, आई टी कार्मिक, सफाई कर्मचारिवृंद आदि) होने चाहिए;

- (झ) भवन या परिसर प्रचलित मानदंडों के अनुसार होने चाहिए;
- (ञ) प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण यानों का विधिमान्य बीमा ;
- (ट) कोई अन्य, जो अपेक्षित हो;

III. आवेदक या अनुदेश देने के लिए उसके द्वारा नियोजित किसी कर्मचारिवृंद सदस्य के पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात्:-

- (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम बारहवीं पास की शैक्षणिक योग्यता;
- (ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्थान या राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से मोटर यांत्रिकी में कोर्स में प्रवीणता परीक्षा प्रमाण पत्र या यान्त्रिकी इंजीनियरी में कोई उच्चतर योग्यता के अतिरिक्त पांच वर्ष का चालन अनुभव;
- (ग) अधिनियम की अनुसूची और उसकी धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट यातायात संकेतों का गहन ज्ञान;
- (घ) यानों के विभिन्न घटकों, पुर्जों के कार्यों को प्रदर्शित करने और समझाने की क्षमता ;
- (ङ.) सिम्यूलेटर और चालन के विभिन्न तरीकों के उपयोग को प्रदर्शित करने की क्षमता ;
- (च) अंग्रेजी या उस क्षेत्र जिसमें केन्द्र या संस्थान अवस्थित है, की क्षेत्रीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान;

परंतु कोई व्यक्ति जिसने इन नियमों के लागू होने से ठीक पूर्व न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षक के रूप में सेवा की हो, को इस खंड की अपेक्षाओं से छूट दी जाती है ;

4. पदाभिहित पदाधिकारी उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और उसका यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने उपनियम (3) की अपेक्षाओं का पालन किया है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 11क में प्रत्यायन प्रदान या नवीकृत कर सकेगा ।

5. प्रत्यायन के लिए कोई आवेदन पदाभिहित पदाधिकारी द्वारा तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है और ऐसे इन्कार करने के कारण लिखित में प्रत्यायन प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा संसूचित न कर दिए गए हों;

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए “पदाभिहित पदाधिकारी” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य परिवहन प्राधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकृत एजेंसी का पदाभिहित कर्मचारी है;

31ग. प्रत्यायन और उसके नवीकरण की अवधि – प्ररूप 11क में प्रदान किया गया कोई प्रत्यायन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और प्ररूप 13क में, उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम साठ दिन पूर्व, आवेदन पर उस पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा जिसने प्रत्यायन प्रदान किया है, नवीकरण के लिए दिया जा सकेगा:

परंतु उक्त प्रत्यायन की विधिमान्यता, विहित मानदंडों को पूरा करने के अधीन रहते हुए जो पदाभिहित पदाधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर इसके प्रयोजन के लिए विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी।

31घ. प्रत्यायन की दूसरी प्रति जारी करना – (1) यदि नियम 31ख के उपनियम (4) के अधीन प्रदान किया गया प्रत्यायन किसी भी समय खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो प्रत्यायन का धारक उस पदाभिहित पदाधिकारी को तुरंत संसूचित करेगा जिसने प्रत्यायन प्रदान किया है और उक्त प्राधिकारी को दूसरी प्रति के लिए लिखित में आवेदन करेगा;

(2) पदाभिहित पदाधिकारी, नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस के साथ किसी आवेदन की प्राप्ति पर “दूसरी प्रति” स्पष्ट रूप से चिन्हांकित करते हुए प्रत्यायन की दूसरी प्रति जारी करेगा;

(3) यदि प्रत्यायन की दूसरी प्रति जारी करने के पश्चात्, मूल प्रति प्राप्त हो जाती है, तो वही उस पदाभिहित प्राधिकारी को जिसने इसे जारी किया था, तुरंत अभ्यर्पित किया जाएगा ;

31ङ. प्रत्यायन धारक द्वारा पालन की जाने वाली साधारण शर्तें – नियम 31ख के अधीन प्रत्यायन प्रदान किया गया कोई धारक, -

- (i) प्ररूप 14 में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर और किसी वर्ष के दौरान भर्ती किए गए विद्यार्थियों के नामों की वर्णानुसार सूची रखेगा;

- (ii) नियम 31 ज में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करेगा;
- (iii) प्ररूप 5ख में पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रमाण पत्र जारी करेगा;
- (iv) प्रत्यायन जारी करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारी को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर मांगी गई सूचना प्रस्तुत करेगा;
- (v) प्रत्यायन जारी करने वाले प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना प्रत्यायन में उल्लिखित परिसर को स्थानांतरित नहीं करेगा;
- (vi) प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रयोग में लाए जाने वाले सभी मोटर यानों पर नाम, केन्द्र का पूरा नाम और टेलीफोन संख्या सुस्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करेगा;
- (vii) प्ररूप 15 में, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रत्येक दिन चालन पर बिताए घंटों की संख्या दर्शित करते हुए अलग से रिकार्ड बनाए रखेगा;
- (viii) अपने कार्यालय में प्रमुख स्थान पर निम्नलिखित का प्रदर्शन करेगा-
(क) पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा केन्द्र को जारी किए गए प्रत्यायन की मूल प्रति, और (ख) केन्द्र द्वारा नियोजित प्रशिक्षकों के नाम, पते और मोबाइल संख्या;
- (ix) केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी रीति में भ्रामक कार्य नहीं करेगा जिससे, इन नियमों के अनुसार से भिन्न, ऐसे व्यक्ति को कोई प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु उसकी योग्यता के रूप में या इस अध्याय के उपबंधों की परिवर्चना हेतु किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने का लोप करने की मौनानुमति नहीं देगा।

31च. प्रत्यायन चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की लेखा परीक्षा –

- (1) पदाभिहित पदाधिकारी, नियमित लेखा परीक्षा के माध्यम से केन्द्र के कार्यों और उनके द्वारा नियमों की अनुपालना की निगरानी करेगा। लेखा परीक्षा का कार्य प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
- (2) केन्द्र बारंबार होने वाली लेखा परीक्षाओं के अध्यक्षीन होगा। पहली लेखा परीक्षा केन्द्र के संचालन के प्रारंभ होने के तीन मास के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।
- (3) केन्द्र को पाठ्यक्रम संपूर्ण करने की तारीख से पिछले पांच वर्ष के लिए प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का रखरखाव करना अपेक्षित होगा। ऐसी लेखा परीक्षाओं की लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी।
- (4) अनुसूचित लेखा परीक्षाओं के अलावा, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा केन्द्र में आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय निरीक्षण के समन्वय और इसे सक्षम बनाने हेतु केन्द्र का प्रबंधन उत्तरदायी होगा।
- (5) केन्द्र, लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का रखरखाव करेगा,-
 - (i) इलैक्ट्रानिक उपस्थिति रजिस्टर;
 - (ii) केन्द्र को चलाने का प्रत्यायन पत्र;
 - (iii) भूमि पट्टा या स्वामित्व दस्तावेज;
 - (iv) प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता योग्यता सिद्ध करने संबंधी दस्तावेज;
 - (v) प्रशिक्षण यान स्वामी दस्तावेज;
 - (vi) प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी दस्तावेज।

31छ. प्रत्यायन रद्द या निरस्त करने की पदाभिहित प्राधिकारी की शक्ति – (1) यदि पदाभिहित पदाधिकारी, जिसने प्रत्यायन प्रदान किया है, का यह समाधान हो जाता है तो प्रत्यायन धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यदि वह –

- (क) नियम 31ख के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है; या
- (ख) ऐसे यानों का जिनके द्वारा अनुदेश दिए जाने हैं, का अच्छा रखरखाव करने में विफल रहता है;
- (ग) प्रशिक्षण प्रदान करने में नियम 31ज में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम का पालन करने में विफल रहता है; या

(घ) नियम 31ड. के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए, निम्नलिखित आदेश कर सकेगा,-

- (i) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्यायन निलंबित करना; या
- (ii) प्रत्यायन निरस्त करना।

(2) जहां प्रत्यायन उपनियम (1) के अधीन निलंबित या निरस्त किया जाता है, प्रत्यायन प्रमाण पत्र उसके धारक द्वारा पदाभिहित पदाधिकारी को अभ्यर्पित किया जाएगा।

31ज. अपील – नियम 31ख के उपनियम (5), नियम 31ग या नियम 31छ के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, यदि प्रत्यायन के लिए आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाता है, सचिव (परिवहन) या उस राज्य के परिवहन आयुक्त जिसमें केन्द्र अवस्थित है, को और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकृत एजेंसी को प्रत्यायन आवेदन करने की दशा में केन्द्रीय सरकार को, अपील कर सकेगा।

31ठ. अपील की प्रक्रिया- नियम 31ज के अधीन कोई अपील, पदाभिहित प्राधिकारी के आदेश के आक्षेपों के आधार उल्लिखित करते हुए, ज्ञापन प्ररूप में दो प्रतियों में की जाएगी और नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस तथा उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई है, जो यह ठीक समझे, ऐसी अपील प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

31ज. प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा मोटर यान चालन में प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम- (1) मोटर यान चालन में प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम होगा –

(क) हल्के मोटर यान चालन ;

पाठ्यक्रम के प्रारंभ की तारीख से सभी खंडों में पाठ्यक्रम की अवधि चार सप्ताह में 29 घंटे है। इन्हें दो भागों, थ्योरी और प्रैक्टिकल, में विभाजित करना है:-

थ्योरी-8 घंटे

थ्योरी विषय	घंटे
चालन थ्योरी;	1
यातायात शिक्षा;	2
मूल यान तंत्र थ्योरी प्रदर्शन;	1
जनसंपर्क और प्राथमिक उपचार;	1
सड़क शिष्टाचार और व्यवहार सड़क रेंज;	1
दुर्घटनाओं और मामलों के अध्ययन के कारण;	1
चालन ईंधन दक्षता;	1

प्रैक्टिकल- 21 घंटे

विषय	घंटे
मूल प चालन अभ्यास(चालन रेंज में) ;	2
कुशल चालन अभ्यास (चालन रेंज में) ;	2
ग्रामीण और राज्यमार्ग सड़क चालन अभ्यास;	2
शहर की सड़कों में चालन अभ्यास (घने और लेन यातायात में) ;	4
चढ़ावदार और ढलान चालन ;	2
रिवर्स, पार्किंग;	2
सिम्यूलेटर प्रशिक्षण (प्रारंभ, वर्षा, कोहरा, रात आदि) ;	4
चालन ईंधन दक्षता;	1
थ्योरी परीक्षण और मूल्यांकन;	2

1. चालन थ्योरी-1		
1	अपना यान नियंत्रण जाने	ऑटोमोबाइल ईजन और उनके कार्य करने का सरल परिचय;
2	पैर नियंत्रण	पैर नियंत्रण, एक्सीलेटर, क्लच-डिपर (वर्तमान मॉडल में नहीं है) ;
	हाथ नियंत्रण	स्टियरिंग व्हील, हैंड ब्रेक, हार्न, लाइट, वाइपर, इग्निशन स्विच, स्टार्टर, डिपर और इंडिकेटरर्स;
	अन्य नियंत्रण	रियर व्यू मिरर (दाएं और बाएं तरफ) , इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गेज, डायल,विंडस्क्रीन-उनका प्रयोजन;
	प चालन पूर्व जांच	(i) ड्राइवर की सीट पर बैठने से पूर्व और; (ii) ड्राइवर की सीट पर बैठने के पश्चात्;
3	गाड़ी चलाना प्रारंभ करना	चलने से ठीक पूर्व सावधानी बरतें जबकि, वीटिंग प्वाइंट, मूविंग, स्टेयरिंग नियंत्रण, गियर बदलना, रुकना, ब्रेक लगाना, एक्सेलेटर लगाना (क्रमिक, अचानक), यातायात समझ, सड़क समझ, निर्णय, पार्किंग और सड़क उपयोक्ताओं के अनुसार पोजिशनिंग, रिवर्सिंग ;
4	सड़क पर चालन	अन्य सड़क उपयोक्ताओं के अनुसार प्रत्याशा, निर्णय और सड़क की स्थिति;
5	अंतर्खंडों पर चालन	मिरर सिग्नल और मैनेवर और पाजिशन गति और देखना (पीएसएल) देखे जाने वाला जोन;
6	मैनेवर	मैनेवर में विलय करना और बदलना दाएं और बाएं, उलटना, 3 बिंदू मुड़ना, पांच-बिंदू मुड़ना और यू मुड़ना, मैनेवर करना स्थिर यान को ओवरटेक करना, दायीं ओर तथा बायीं ओर यान चलाना;
7	रिवर्सिंग	बैठी हुई स्थिति में रिवर्स गियर पता लगाना, गति नियंत्रण, रिवर्स गियर में स्टेयरिंग करना, 'S' पट्टे पर दायें-बाएँ चलना और सामान्य त्रुटियां ;
8	पार्किंग	सामान्तर, कोणीय, लम्बवत, ऊपर की ओर पार्किंग, ढलान की ओर पार्किंग, साधारण त्रुटियां;
9	कतिपय यानों के लिए प्राथमिकता	आपातकालीन यान, अग्नि ईजन और एंबुलेंस
10	ईधन दक्षता	पीएन और जी के ज्ञापन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार;

2. यातायात शिक्षा		
1	चालन विनियम	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 118 के अधीन बनाए गए सड़क प्रयोग के विनियम;
2	हस्त संकेत	
3	यातायात संकेत	मोटर यान अधिनियम, 1988 की अनुसूची;
4	यातायात कांस्टेबल/यातायात वार्डन के हस्त संकेत	
5	स्वचालित प्रकाश संकेतों का परिचय	
6	सड़क चिन्हों का परिचय	
7	राजमार्गों और शहर सड़कों पर गति विनियम	
8	आपत्तिजनक स्थानों पर पार्किंग	
9	मोटर यान अधिनियम, 1988 के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध और मोटर यान अधिनियम, 1988 -धारा 122, धारा 123, धारा 125, धारा 126 और धारा	

	128	
10	चालन की क्षमता का परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15 का उपनियम(3)

3. हल्का यान परिवहन अभ्यास:-

1	यानों के विभिन्न भागों की पहचान	
2	चालन पूर्व जांच;	(i) ड्राइवर की सीट पर बैठने से पूर्व और; (ii) ड्राइवर की सीट पर बैठने के पश्चात्;
3	स्टेयरिंग अभ्यास;	-दबाना और खींचना पद्धति;
4	ब्रिटिंग प्वाइंट;	
5	चलाना और गियर बदलना;	
6	रोकना;	-सामान्य रोकना-आपातकाल में रोकना;
7	सड़क पर चलाने के लिए निर्णय और पूर्वानुमान का विकास करना;	
8	रिवर्सिंग;	-सीधे-सीधे -एस झुकाव में
9	पूरा घुमना और पार्किंग;	
10	अनुज्ञप्ति;	

4. यान तंत्र और मरम्मत

1	यान का ले-आउट;	
2	डीजल और पेट्रोल ईंधन का कार;	
3	ईंधन प्रणाली;	-ईंधन लाइन -ईंधन इंजेक्शन पंप -ऑटोमाइजर -एयरलॉक-ऑयल ब्लॉक
4	शीतलन प्रणाली;	-प्रयोजन-रेडियेटर -पानी का पंप -पंखे की पंखड़ी/पंखा बेल्ट -रेडियेटर का पानी उबलना -सुधार
5	लुब्रिकेशन प्रणाली;	-प्रयोजन -ईजन लुब्रिकेशन -चेसिस लुब्रिकेशन -ऑयल ग्रेड संख्या इकाई-वार
6	ट्रांसमिशन प्रणाली	(क) क्लच: -कार्य -पची -राइजिंग -लिकेज (ख) गियर बॉक्स: -कार्य -प्रयोजन -पुर्जे

		(ग) प्रोपेलर शाफ्ट: -कार्य/प्रयोजन -योक ज्वाइंट -सीजे बियरिंग स्लिप -यू ज्वाइंट -लुब्रिकेशन (घ) विभेद: -प्रयोजन -कार्य/शोर
7	सस्पेंशन प्रणाली	-प्रयोजन -स्प्रिंग -शेकेल, शेकेल पिन बुश -शाकड अवशोषक और उसके बुश
8	स्टेयरिंग प्रणाली	-प्रयोजन -स्टेयरिंग ज्यामिति -स्टेयरिंग लिंकेजिज -स्टेयरिंग बॉक्स
9	ब्रेक प्रणाली	-प्रयोजन -हाइड्रोलिक ब्रेक और उसकी जानकारी -वायु समर्थित हाइड्रोलिक ब्रेक और उसके बारे में जानकारी - वायु ब्रेक और उसके बारे में जानकारी
10	विद्युत प्रणाली	-संपूर्ण प्रणाली का ब्रेक समायोजन -बैटरी और उसकी स्थिति -डायनेमों/ऑल्टरनेटर -स्वतःमोटर-स्टार्टर मोटर रेग्युलेटर -बल्बी-एम्पीयर मीटर में चार्जिंग दर पढ़ने का ज्ञान
11	टायर	-टायरों का अध्ययन -रखरखाव -दोषपूर्ण टायरों और पहिया संरेखन का प्रभाव
12	इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डेश बोर्ड मीटर और उनके प्रयोजन तथा कार्य	

ख .मध्यमभारी वाहनों की ड्राइविंग/

सभी खंडों में पाठ्यक्रम की अवधि खंडों 2 घंटे है। इन्हें 38 सप्ताह की अवधि में 6, थ्योरी और प्रैक्टिकल में विभाजित किया जाता है।

थ्योरी 16 -घंटे

थ्योरी विषय	घंटे
ड्राइविंग थ्योरी	2
ट्राफिक शिक्षण	2
वाहन रचना थ्योरी	2
वाहन अनुरक्षण और मरम्मत	1
सार्वजनिक सम्पर्क	1

प्राथमिक चिकित्सा और मानव मनोविज्ञान	1
रोड रेज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट	2
दुर्घटना के कारण और प्रकार, दुर्घटना के मामले में ड्राइवर का उत्तरदायित्व	2
एड्स की ज्ञान ; तंबाकू और उल्कोहल	1
प्रदूषण और पर्यावरण	1
ड्राइविंग ईंधन क्षमता	1

पैक्टिकल 22 –घंटे

विषय	घंटे
बेसिक ड्राइविंग प्रैक्टिस (ड्राइविंग रेंज में)	2
कौशल ड्राइविंग प्रैक्टिस (ड्राइविंग रेंज में)	4
ग्रामीण और राजमार्ग सड़कों में ड्राइविंग प्रैक्टिस	3
शहर की सड़क में ड्राइविंग प्रैक्टिस घने) और लेन यातायात में(	3
अपहिल और डाउनहिल ड्राइविंग	2
रिवर्सिंग पार्किंग	2
सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रारंभ), बारिश, कोहरा, रात आदि(	3
ड्राइविंग ईंधन क्षमता	1
थ्योरी टेस्ट और मूल्यांकन	2

1. ड्राइविंग थ्योरी – 2

1	अच्छे ड्राइवर के गुण :	- धैर्य-उत्तरदायित्व-आत्मविश्वास, पूर्वाभास, एकाग्र-चित्तता, विनम्रता, रक्षात्मक ड्राइविंग, सड़क नियम/विनियमों का ज्ञान, वाहन नियंत्रण का ज्ञान, अनुरक्षण एवं साधारण रचना
2	वाहन नियंत्रण का ज्ञान	- प्रमुख नियंत्रण - लघु नियंत्रण
3	नियंत्रण की प्रतिक्रिया	- ऐक्सीलेटर - ब्रेक-धीरे-धीरे/अकस्मात/तीव्र - क्लच - स्टीयरिंग
4	ड्राइविंग पूर्व जाँच	(i) ड्राइवर की सीट पर बैठने से पहले, और (ii) ड्राइवर की सीट पर बैठने के बाद
5	स्टीयरिंग व्हील पकड़ना	- पुश एण्ड पुल मैथड प्रैक्टिस - आन दी मूव - गियर चेंज करते समय - मोड़ते समय - हार्न देते समय - डैश बोर्ड स्विच चलाते समय - सिगनल देते समय - आपातकालीन स्थिति में
6	गियर बदलना	- डबल डीक्लचिंग-, महत्व और तरीका सिगनल क्लचिंग गियर अप तरीका -, निचले गियर को शिफ्ट करना गियर डाउन तरीका -, ऊपर के गियर को शिफ्ट करना
7	ड्राइविंग शुरू करना	- 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर, 5 गियर, रिवर्स गियर,

		ओवरड्राइव/आपश्रल
8	एम .एल.एस.और पी .एम.एस. : रुटीनज	
9	युक्तिचालन	- पासिंग, मर्जिंग, ड्राइवर्जिंग, ओवरटेकिंग, क्रॉसिंग, टर्निंग, कार्नरिंग, रिवर्सिंग पार्किंग
10	स्टापींग	- नार्मल स्टापींग - आपातकालीन स्टापींग - इंजन ब्रेक/इग्जाहस्ट ब्रेक का प्रयोग
11	स्टापींग डिस्टेंस	- रिएक्शन डिस्टेंस - ब्रेकिंग डिस्टेंस
12	फॉलोइंग डिस्टेंस	- अर्थ - डिस्टेंस मैथड - कार लेंथ मैथड - 2 सैकेंड टाइम रूल मैथड
13	पहचान, भविष्यवाणी, निर्णय और अनुपालन (.ई.डी.पी.आई) नियम	
14	रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक	- निर्णय - पूर्वानुमान - निकलने का मार्ग
15	नाइट ड्राइविंग	- हेड लाइट स्विच की स्थिति - प्रक्रिया - लैम्प जलाने का दायित्व, लैम्प जलाने पर प्रतिबन्ध
16	हिल ड्राइविंग	- पहाड़ी में ड्राइविंग शुरू करते समय पार्किंग ब्रेक मैथड का प्रयोग - क्लव छोड़ना का ढंग - ड्राइविंग अप-हिल - ड्राइविंग टाउन-हिल
17	आपातकालीन युक्तिचालन	- स्किडिंग, हार्न स्टक, फायर, व्हीजल कर्मिंग आउट, ब्रेक फेल होना, ब्रोक्न स्टब एक्सल, फ्रंट टायर का बर्सट होना, स्ट्रैयरिंग वांबलिंग, स्टीयरिंग लिंकेजेज की स्लैपिंग, एक्सीलेटर पैडल का उछलना, क्लच रॉड की स्लैपिंग, अयोग्य वाहन के साथ अचानक टक्कर की विशिष्ट स्थिति में, पहाड़ी उतरते समय ब्रेक फेल होने की स्थिति, यान के समक्ष अचानक रुकावट, की दशा में इलाज से परहेज बेहतर है
18	विशिष्ट स्थितियों में ड्राइविंग	- भीगे मौसम में - सॉझ, धुंधले तथा धूल भरी सड़कों में - ट्रैफिक में
19	टोविंग ट्रेलर ड्राइविंग)	- प्रक्रिया - टोव बोर्ड पर - टोविंग की स्पीड - रिवर्सिंग और वाहन को ट्रेलर के साथ पोजीशन करना
20	ईंधन बचाव पद्धति	
21	रिपोर्टचारविमर्शवि-	

2. ट्रेफिक शिक्षण-2		
1	अपने मार्ग की जानकारी	- कार्यात्मक वर्गीकरण - डिजाइन स्पीड - मार्ग ज्योमेट्रिक - सर्फेस टाइपस एण्ड करेक्टरीस्टिक्स
2	स्थलीय दूरी :	- झुकावों पर, चौराहों पर
3	मार्गसंयोजन-	- नियम और प्रकार, आई संयोजन, वाई संयोजन, चार-लेन वाले संयोजन, फेल हुए (भटके हुए) संयोजन, नियंत्रित संयोजन, अनियंत्रित संयोजन
4	ट्रेफिक द्वीप	चक्रदार मार्गों के प्रकार, माध्यम
5	बाईपास, सबवे, ओवरब्रिज - ओवर-तथा फ्लाई	- उद्देश्य - ड्राइविंग प्रक्रिया
3. ड्राइवरों के लिये सार्वजनिक सम्पर्क		
अन्य सड़क प्रयोक्ताओं के साथ नैतिक और विनम्र व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ प्राथमिक पहलू।		

4. भारी वाहन ड्राइविंग प्रैक्टिस		
1	विभिन्न उपकरणों का परिचय	- डायल गैंग और नियंत्रण -
2	ड्राइविंग पूर्व जाँच :	(i) ड्राइवर के सीट पर बैठने से पूर्व, और (ii) ड्राइवर के सीट पर बैठने के पश्चात्।
3	ड्राइव शुरू करते समय :	- बाइटिंग प्वाइंट, मूविंग, गियर बदलना डबल डी-क्लव स्टीयरिंग, स्टापिंग, हैंड सिग्नल सहित
4	ग्रामीण मार्गों पर ड्राइविंग	नियम-का प्रयोग .ई.डी.पी.आई -
5	निर्णयन का विकास	- पासिंग, ओवरटेकिंग मर्जिंग, डाइवर्जिंग एम.एस.एम. और पी.एस.एल. प्रैक्टिस के रूटीन तरीके, रक्षात्मक ड्राइविंग तरीकों से सही पालन
6	पूर्वाभास का विकास	- मोड़ना, मिलना, चौराहों पर प्रवेश और मिलन, लेन चुनाव और लेन नियम - चौराहा, हार्न अवलोकन
7	भीड़ वाली गलियों में ड्राइव करने की निपुणता विकसित करना	
8	रात्रि ड्राइविंग	
9	क्रास कन्ट्री प्रैक्टिस और पहाड़ी ड्राइविंग	
10	आंतरिकटेड टेस्ट-	
11	पीछे मोड़ना और (रिवर्सिंग) पार्किंग प्रैक्टिस	
12	लाइसेंसिंग	
5. आग संकट		
वाहन पर आग लगना और उसके बचाव के उपाय।		

6. वाहन अनुरक्षण	
1	निकृष्ट और असावधान ड्राइविंग के कारण वाहन के हिस्सों को प्रभावित करने वाले तत्व (कलपुर्जों)
2	सामान्य दैनिक अनुरक्षण और आवधिक अनुरक्षण

3	बैट्री अनुरक्षण
4	टायर अनुरक्षण और ट्यूब वल्केनाइजिंग
5	इंजन ट्यून अप
6	व्हील एलाइनमेंट जॉच
7	ब्रेक इडजेस्टमेंट
8	एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच-पैडल एडजेस्टमेंट
9	फैन बेल्ट एडजेस्टमेंट
10	डैश बोर्ड मोटरों का अवलोकन
11	लूबरीकेशन
12	एयर लॉक और ऑयल ब्लाक को हटाना
7. प्राथमिक-चिकित्सा	
1	प्राथमिक चिकित्सा का परियच
2	प्राथमिक चिकित्सा की आउटलाइन
3	शरीर की संरचना और कार्य
4	ट्रेसिंग और पट्टी करना
5	रक्त-संचार
6	जख्म और रक्तस्राव
7	विशिष्ट क्षेत्रों के रक्तस्राव
8	आघात
9	श्वसन
10	हड्डियों की चोट
11	बर्निंग स्केल्स
12	अवचेतना
13	जहर

ग. पुनश्चर्या / अभिसंस्करण पाठ्यक्रम

पुनश्चर्या / अभिसंस्करण पाठ्यक्रम 2-3 दिनों की अल्पावधि के होंगे और इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित हो सकते हैं :

- व्यवहारिक आचार और तनाव प्रबंधन
- रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक
- ट्रैफिक नियम और विनियम
- आपातकालीन स्थिति से निपटने की तकनीक
- अनुरक्षण और ईंधन संरक्षण
- प्रदूषण और पर्यावरण

(vii) दुर्घटना के कारणों, कौन गलती में था और यह कैसे टाला जा सकता था, का विश्लेषण करने के लिए दुर्घटनाओं पर केस अध्ययन

ऐसे ड्राइवरों के लिए उनके सुधारयोग्य क्षेत्रों को समझने और उनका विश्लेषण करने और प्रशिक्षण के दौरान उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक व्यवहारिक कौशल परीक्षा और सैद्धांतिक व्यवहारिक विश्लेषण परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। विशेष रूप से ऐसे ड्राइवरों को प्रशिक्षित और मूल्यांकन करने के लिए सिम्युलेटर्स का उपयोग किया जा सकता है।

(2) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, केन्द्र विशेष प्रकार की ड्राइविंग आवश्यकताओं जैसे खतरनाक और जोखिमवाले समानों, फायर ट्रकों, एंबुलेंस, शाफर ड्राइवर, डिलीवरी वेन, विस्फोटक और स्पिंकलर ट्रकों, फार्कलिफ्ट्स बस, प्रशिक्षण कार्यशालाओं को ले जा रहे यानों में विशेषज्ञता देने वाले पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को प्रदान करने का विकल्प भी

चुन सकती है। इन प्रचालनों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से संबोधित की जा सकती है।

(3) उपरोक्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) और मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) के मार्गदर्शन और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए।

(4) प्रशिक्षुओं की उपस्थिति की निगरानी कड़ाई और बायोमैट्रिक प्रणाली द्वारा अभिलिखित होनी चाहिए, जहाँ प्रशिक्षण पश्चात् पात्रता के लिये मानदंड पचासी प्रतिशत होगा। इस मानदंड को पूरा नहीं करने वाले को अंतिम मूल्यांकन से अवश्य ही विवर्जित कर दिया जाना चाहिए और ड्राइविंग प्रैक्टिस में उपस्थिति की कमी या असफलता के लिए प्रशिक्षण अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।

(5) थ्योरी साथ ही साथ प्रैक्टिकल का अंतिम मूल्यांकन उत्तीर्ण करने का न्यूनतम मानदंड साठ प्रतिशत है और प्रशिक्षुओं जिन्होंने संस्थान द्वारा आयोजित ड्राइविंग परफोरमेंस परीक्षा उत्तीर्ण की है को मोटरयान निरीक्षण के पास एल एम वी / एचएम वी ड्राइविंग लाइसेंस पृष्ठांकन के लिए भेजा जाएगा।

(6) सभी थ्योरी पेपरों और मोटरयान निरीक्षक के द्वारा ली परीक्षा पास होने के पश्चात्, प्रशिक्षुओं के आवश्यक विवरण के साथ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की एक प्रति भी संबंधित आर टी ओ को भेजी जाएगी।

6. उक्त नियमों के, नियम 32 की सारणी में, क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रु.)	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले चालन प्रशिक्षण केन्द्र को प्रत्यायन जारी करने के संबंध में	पचास हजार	31 (ख)	(12)
15.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले चालन प्रशिक्षण केन्द्रे को प्रत्यायन की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	पंद्रह हजार	31 (घ)	12
16.	नियम 30 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में	बीस हजार	31 (1)	12”

7. उक्त नियमों में, प्ररूप 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप 5 ख

[नियम 31 ड देखें]

प्रत्यायित चालन प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जारी किया गया चालन-प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- जो -----निवासी के पुत्र/की पत्नी/पुत्री है, इस चालन प्रशिक्षण केन्द्र में ----- को भर्ती किए गए थे/की गई थी और उसका नाम हमारे रजिस्टर में प्ररूप 14 में क्रम संख्यांक ----- के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और उन्होंने 1)-----2)-----3)----- (यान वर्ग) के चालन में प्रशिक्षण लिया है।

उसका आधार नंबर ----- है। (नियम 15 के अनुसार चालन परीक्षण में छूट प्राप्त करने के लिए लागू।)

-----से----- तक की अवधि के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है।

मैं उसके/उसकी शरीरिक उपयुक्तता और उत्तरदायित्व के भाव से संतुष्ट हूँ।

हस्ताक्षर -----

नाम और पद -----

चालन प्रशिक्षण केन्द्र का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या और उसके जारी करने की तारीख के साथ।”।

8. उक्त नियमों में, प्ररूप 11 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 11 क

[नियम 31 (ख) और 32 (ग) देखें]

चालन प्रशिक्षण केन्द्र के लिए प्रत्यायन

प्रत्यायन संख्या -----

मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उपबंधों के अधीन रहते हुए (प्रत्यायन धारक का नाम और पता) ----- द्वारा ----- स्कूल परिसर में ----- नाम से ज्ञात केन्द्र को नीचे विनिर्दिष्ट मोटर यानों के चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए चालन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रत्यायित की जाती है -

1. -----

2. -----

3. -----

4. -----

5. -----

द्वारा ----- (प्रत्यायनधारी का नाम और पता)

को ----- (स्कूल का परिसर) यह प्रत्यायन ----- से ----- तक विधिमान्य है।

तारीख -----

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

इस प्रत्यायन का ----- से ----- तक नवीकरण किया जाता है।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की मुहर
और हस्ताक्षर।”।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 12 क

[नियम 31 ख देखें]

चालन प्रशिक्षण केन्द्र के प्रत्यायन के लिए आवेदन

सेवा में

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

अधोहस्ताक्षरी (नीचे हस्ताक्षर करने वाला) मोटर यान चालन में प्रशिक्षण देने के लिए चालन प्रशिक्षण केन्द्र को प्रत्यायन के लिए आवेदन करता है ;

क्र.सं.	विषय	विशिष्टियां
1	आवेदन का नाम	
2	विधिक प्रस्थिति	
3	रजिस्ट्रीकरणनिगमन की तारीख/	
4	मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी	
5	डाक पता	
6	प्रधान अधिकारी का नाम, पता और आधार नंबर	
7	एन जी ओ के मामले में, कृपया प्रस्तुत करें – 1. दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण की तारीख 2. दर्पण पोर्टल पर बनाई गई एकमात्र आई डी	
8	केन्द्र की अवस्थिति	
9	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है	
10	क्या भूमि फ्री होड लीज होल्ड है। कृपया क्रय / पट्टा करार जैसे दस्तावेज संलग्न करें। / दस्तावेज	
11	क्या भूमि अतिक्रमणों से मुक्त है ?	
12	कृपया इस बात को वर्णित करें कि केन्द्र में एम एच वी, एल एम वी और अन्य ड्राइवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता कैसे होगी	
13	क्या केन्द्र में निम्नलिखित के लिए प्रावधान है : I. दो कक्षाएं, II. कार्यालय स्थल, III. एच एम वी और एल एम सी सिम्युलेटर्स, कार्यशाला के लिए प्रदर्शन वस्तु, IV. यानों के प्रत्येक वर्ग के यान, V. ड्राइविंग ट्रैक – स्वचालित / गैर- स्वचालित, VI. बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, VII. तैयारी योजना, आदी।	
14	प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक यान का रजिस्ट्रीकरण नंबर	
15	क्या प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किए जाने वाले यानों को प्रशिक्षु और प्रशिक्षक के लिए बीमा किया गया है, यदि हां, (दस्तावेज संलग्न करें)	

मैंने फीस के का भुगतान कर दिया .रु -----है-----
तारीख -----

आवेदक का नाम
हस्ताक्षर और मुहर।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप 13 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप क 13
[नियम ग देखें 31 ख और 31]
चालन प्रशिक्षण केन्द्र के प्रत्यायन के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में
 नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

अधोहस्ताक्षरी (नीचे हस्ताक्षर करने वाला) मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने के लिए चालन प्रशिक्षण केन्द्र के प्रत्यायन के नवीकरण के लिए आवेदन करता है :

1. आवेदक का पूरा नाम -----
2. पता -----
3. कारोबार का स्थान -----
4. विद्यमान अनुज्ञप्ति के ब्यौरे -----
5. जारी किए जाने की तारीख -----
6. मान्यता की अवधि -----
7. राज्य प्रधिकरण द्वारा किए गए
लेखा परीक्षा के ब्यौरे -----
8. क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व किया गया है, यदि नहीं, तो विलंब के कारण बताएं ।

9. क्या पहले का प्रत्यायन किसी कारणवश निलंबित / रद्द किया गया था, उसके ब्यौरे जैसे कि निलंबन की तारीख, ऐसे निलंबन / रद्दकरण के कारण, निलंबन / रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख -----
10. मैंने ----- रुपये की फीस का संदाय किया है । -----

आवेदक के हस्ताक्षर ।”।

[फा. सं. आरटी-11036/137/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28.05.2021 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2021

G.S.R 394(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 57 (E), dated the 29th January, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

Whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification were made available to the public on the 29th January, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short Title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from 01st day of July, 2021.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11, in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: -

“(e) knowledge and understanding of fuel efficient driving technique;”.

3. In the said rules, in rule 14, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

“(f) Certificate from accredited driver training Center in Form 5B as per rule 31E, if any.”.

4. In the said rules, in rule 15, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the holder of certificate in Form 5B shall be exempted from requirement of driving test”.

5. In the said rules, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely: -

“31B. Accredited Driver Training Centers. — (1) No person shall establish or maintain an accredited driver training center for imparting instructions for driving motor vehicles without an accreditation in Form 11 A granted by the State Transport Authority or any authorised agency notified by the Central Government on recommendation of any testing agency referred in rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(2) An application for the grant or renewal of an accreditation under sub-rule (1) shall be made in Form 12 A or Form 13 A, as the case may be, to the State Transport Authority of the State in which the center is situated and shall be accompanied by appropriate fee as specified in rule 32.

(3) The designated authority shall, while considering an application for the grant or renewal of an accreditation under this rule, have regard to the following matters, namely: —

- I. the applicant and the staff working under him are of good moral character and are qualified to give driving instructions;
- II. the applicant maintains the following minimum infrastructure and other requirements, namely: —
 - (a) the premises where the center is proposed to be conducted is either owned by the applicant or is taken on lease by him or is hired in his name, spread over: -
 - (i) Minimum One acre – for accreditation for imparting driver training for two wheelers, three wheelers and Light Motor vehicle;
 - (ii) Minimum Two acres for accreditation for imparting driver training for two wheelers, three wheelers, Light Motor vehicles, Medium and Heavy Passenger /Goods vehicles or Trailers etc.
and it has adequate infrastructure besides adequate parking area for the vehicles meant to be used for imparting instructions in driving;
 - (b) Two class-rooms with teaching aids like computers and Multimedia Projector for holding theory classes or lessons on Traffic Rules and Regulations, Driving Procedures, Vehicle Mechanism, Public Relations and First Aid;
 - (c) Simulator(s) for both the classes of vehicles (Light Motor Vehicle and Heavy Motor Vehicle);
 - (d) Broadband connectivity;

- (e) Driving tracks including Serpentine, Up-gradient, 8 shaped, Reverse parallel Parking, Reverse S Test Tracks to provide practice to the trainees for maneuvering, parking, reverse driving, driving on slopes, etc.;
 - (f) Minimum one vehicle of each class of vehicles with dual control except in case of two wheelers;
 - (g) Workshop along with exhibits;
 - (h) Should have biometric attendance system, qualified instructors, e-payment, real time evaluation, online evaluation process and adequate staff resources in each category (Teaching staff, IT personnel, cleaning staff etc.);
 - (i) Building or premises should be as per prevailing norms;
 - (j) Valid Insurance of the training vehicles for trainees and trainers;
 - (k) Any other, as may be required;
- III. The applicant or any member of the staff employed by him for imparting instructions possesses the following qualifications, namely: —
- (a) a minimum educational qualification to be passed in the 12th standard with a recognised Board or Institution;
 - (b) a driving experience of not less than five years in addition to a Proficiency Test Certificate in a course in motor mechanics or any other higher qualification in mechanical engineering from an institution established by the Central or a State Government or from an institution recognised by the Board of Technical Education of a State Government;
 - (c) thorough knowledge of traffic signs specified in the Schedule to the Act and the regulations made under section 118;
 - (d) ability to demonstrate and to explain the functions of different components and parts of the vehicles;
 - (e) ability to demonstrate usage of simulators and different modes of driving;
 - (f) adequate knowledge of English or the regional language of the region in which the center or establishment is situated:

Provided that any person who has served as an instructor for a period of not less than five years immediately before the commencement of these rules, is exempted from the requirements of this sub-clause.

(4) The designated authority may, on receipt of an application under sub-rule (2) and after satisfying that the applicant has complied with the requirements of sub-rule (3), grant or renew an accreditation in Form 11A within a period of sixty days from receipt of such an application.

(5) No application for accreditation shall be refused by the designated authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are communicated in writing by the licensing authority.

Explanation.— For the purposes of this rule "designated authority" means an officer not below the rank of the State Transport Authority or designated official of authorised agency notified by the Central Government.

31C. Duration of an accreditation and renewal thereof. — An accreditation granted in Form 11 A shall be in force for a period of five years and may be renewed on an application in Form 13 A made to the designated authority which granted the accreditation, not less than sixty days before the date of its expiry:

Provided that the validity of the said accreditation shall be subject to fulfilling the criteria as prescribed, which shall be certified by the designated authority or any other authority as, may be prescribed for the purpose by the State Government on an annual basis.

31D. Issue of duplicate accreditation. — (1) If at any time an accreditation granted under sub-rule (4) of rule 31B is lost or destroyed, the holder of the accreditation shall forthwith intimate the loss to the designated authority which granted the accreditation and shall apply in writing to the said authority, for a duplicate;

(2) On receipt of an application along with the appropriate fee as specified in rule 32, the designated authority shall issue a duplicate accreditation clearly marked "Duplicate";

(3) If after the issue of a duplicate accreditation, the original is found, the same shall be surrendered forthwith to the designated authority by which it was issued.

31E. General conditions to be observed by the holder of an accreditation. — The holder of an accreditation granted under rule 31B shall, —

- (i) maintain an electronic register in Form 14 and an alphabetical list of the names of the students admitted during the year;
- (ii) conduct the training course according to the syllabus specified in rule 31J;
- (iii) issue to every student who has completed the course a certificate in Form 5B;
- (iv) submit to the designated authority which granted the accreditation such information as may be called for by it from time to time for the purposes of this Chapter;
- (v) not shift the center from the premises mentioned in the accreditation without the prior approval in writing of the designated authority, which granted the accreditation;
- (vi) exhibit in a conspicuous manner on all the motor vehicles used for imparting instructions the name, full address of the center and the telephone number, in bold letters;
- (vii) maintain a record separately for each trainee showing the number of driving hours spent every day, in Form 15;
- (viii) display at a prominent place in its office the following: —
 - a. the accreditation in original issued to the center by the designated authority, and
 - b. the names, addresses and mobile numbers of instructors employed by the center;
- (ix) not act in a manner calculated to mislead any person making an application to receive instructions from the center as to his ability to procure an accreditation for such person other than in accordance with these rules or to connive with any person in acts of commission or omission with a view to circumventing the provisions of this Chapter.

31F. Audit of Accredited Driver Training centers. — (1) The designated authority shall monitor the operation of the center and compliance to these rules through regular audits also that The audits may be conducted by an officer authorised in this behalf by the designated authority.

(2) The center shall be subjected to recurring Audits where The first audit will be conducted within three months from the starting of operations of the center and thereafter once every year.

(3) The center needs to maintain the documentation of training provided for last five years from the date of completion of course. The cost of such audits will be borne by the center.

(4) Apart from scheduled Audits, the center might also be subjected to surprise Audits by the designated authority. Management of the center shall be responsible for enabling and coordinating inspection at any point of time during office hours.

(5) The center shall maintain the following documents ready for audit purpose:

- i. Electronic Attendance register;
- ii. Accreditation to run the center;
- iii. Land lease or ownership paper;

- iv. Document to prove eligibility qualification of trainees and instructions;
- v. Training Vehicles Ownership papers;
- vi. Training delivery documents.

31G. Power of the designated authority to suspend or revoke accreditation. — (1) If the designated authority which granted the accreditation is satisfied, after giving the holder of the accreditation an opportunity of being heard, that he has—

- a. failed to comply with the requirements specified in sub-rule (3) of rule 31B; or
- b. failed to maintain the vehicles, in which instructions are being imparted, in good condition;
- c. failed to adhere to the syllabus specified in rule 31J in imparting instruction; or
- d. violated any other provision of rule 31E, it may, for reasons to be recorded in writing, make an order, —
 - i. suspending the accreditation for a specified period; or
 - ii. revoking the accreditation.

(2) Where the accreditation is suspended or revoked under sub-rule (1), the accreditation certificate shall be surrendered to the designated authority by the holder thereof.

31H. Appeal.—Any person aggrieved, by any order of the designated authority made under sub-rule (5) of rule 31B, rule 31C or rule 31G may, within thirty days of the date of receipt of such order, appeal to Secretary (Transport) or Transport Commissioner of the State in which the center is situated if the application for accreditation is made to State Transport Authority and in case of application of accreditation made to authorised agency notified by the Central Government, to the Central Government, as the case may be.

31I. Procedure for appeal. — (1) An appeal under rule 31H shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objections to the order of the designated authority and shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and appropriate fee as specified in rule 32.

(2) The appellate authority, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry, if any, as it may deem necessary, pass appropriate orders within a period of forty-five days from the date of receipt of such an appeal.

31J. Syllabus for imparting instructions in driving of motor vehicles by accredited Driving Training Centers. — (1) The syllabus for imparting instructions in driving of motor vehicles shall be as follows: —

A. Light Motor Vehicle Driving

The duration of the course in all segments is 29 hours in the span of maximum 4 weeks from the date of commencement of the course. These are to be divided into 2 segments, Theory and Practical.

Theory - 8 hours

Theory Topics	Hours
Driving Theory;	1
Traffic Education;	2
Basic Vehicle Mechanism Theory Demo;	1
Public Relations & First Aid;	1
Road Etiquette & Mannerism Road Rage;	1
Causes of Accidents & Case Studies;	1
Driving Fuel Efficiency.	1

Practical - 21 hours

Topic	Hours
Basic Driving Practice (in Driving Range);	2

Skill Driving Practice (in Driving Range);	2
Driving Practice in Rural and Highway Roads;	2
Driving Practice in City Roads (in Dense and Lane Traffic);	4
Uphill & Downhill Driving;	2
Reversing, Parking;	2
Simulator Training (initiation, rain, fog, night);	4
Driving Fuel Efficiency;	1
Theory Test & Evaluation.	2

1. DRIVING THEORY-I		
1	Know your vehicle control	Simple introduction to automobile engines and their working;
2	Foot controls	Foot brake, accelerator, clutch-dipper (not in present models);
	Hand Controls	Steering wheel, hand brake, horn, light, wipers, ignition switch, starter, dipper and indicators;
	Other Controls	Rear-view mirror (right and left side), instrument cluster, gauges, dials, windscreen—their purpose;
	Pre-driving checks	(i) Before sitting on driver's seat and; (ii) After sitting on driver's seat;
3	Beginning to drive	Precautions just before moving, while moving, biting point, moving, steering control, changing of gear, stopping, braking, accelerator (gradual, sudden), traffic sense, road sense, judgment, parking and positioning according to road users, reversing;
4	Driving on the road	Anticipation, judgment and road positioning according to other road users;
5	Driving at inter-sections	Mirror Signal and Maneuver (MSM) and Position Speed and Look (PSL).Zone of vision;
6	Maneuvers	Merging and diverging maneuvers—turning maneuvers to left, right, about, 3-point turn, 5-point turn and U-turn, overtaking stationary vehicle, moving vehicle in left side and right side;
7	Reversing	Locating reverse gear in sitting position, speed control, steering in reverse gear, weaving the 'S' bend and common errors;
8	Parking	Parallel, angular, perpendicular, parking facing uphill, parking facing downhill, common errors;
9	Priority for certain vehicles	Emergency vehicles, Fire engines, and Ambulance;
10	Fuel Efficiency	As per the guidelines of MoPN&G.

2. TRAFFIC EDUCATION-I		
1	Driving regulations	Road use regulations made under section 118 of the Motor Vehicles Act, 1988;
2	Hand signals	
3	Traffic signs	Schedule to the Motor Vehicles Act, 1988;
4	Hand signals of Traffic constables/Traffic warden	
5	Introduction to automatic light signals	
6	Introduction to road markings	
7	Speed regulations on highways and city roads	
8	Parking at objectionable places	
9	Some important provisions of the Motor Vehicles Act, 1988—Sections 122, 123, 125, 126 and 128 of the Motor Vehicles Act, 1988.	

10	Test of competence to drive	Sub-rule (3) of rule 15 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
----	-----------------------------	--

3. LIGHT VEHICLE DRIVING PRACTICE : -		
1	Identification of various parts of the vehicles	
2	Pre-driving checks;	i. Before sitting on driver's seat, and ii. After sitting on driver's seat;
3	Steering practice;	—Push and pull method;
4	Bitting point;	
5	Moving and gear changing;	
6	Stopping;	—Normal stopping —Emergency Stopping;
7	Developing judgment and anticipation to drive on road;	
8	Reversing;	—In straight —in S bends;
9	Turning about and parking;	
10	Licensing.	

4. VEHICLE MECHANISM AND REPAIRS		
1	Layout of vehicle;	
2	Function of diesel and petrol engine;	
3	Fuel system;	—Fuel lines —Fuel injection pump —Automiser —Airlock —Oil block
4	Cooling system;	—Purpose —Radiator —Water pump —Fan leaf/fan belt —Radiator water boiling —Rectification
5	Lubrication system;	—Purpose —Engine lubrication —Chassis lubrication —Oil grade numbers unit-wise
6	Transmission system	(a) Clutch: —Function —Slip —Rising —Linkages (b) Gearbox: —Function —Purpose —Parts (c) Propeller shaft: —Function / purpose —Yoke joint —C.J. bearing slip —"U" joint —Lubrication

		(d) Differential: —Purpose —Function/Noise
7	Suspension system	—Purpose —Springs —Shackle, shackle pin bushes —Shock absorber and its bushes
8	Steering system	—Purpose —Steering geometry —Steering linkages —Steering box
9	Brake system	—Purpose —Hydraulic brake and its know-how —Air assisted hydraulic brake and its know-how —Air brake and its know-how
10	Electrical system	—Brake adjustment of the entire system —Battery and its condition —Dynamo/Alternator —Self motor—Starter motor regulators —Lights—Knowledge to read the charging rate in the Ampere meter
11	Tyres	—Study of tyres —Maintenance —Effect of defective tyres and wheel alignment
12	Instruments cluster, dashboard meters and their purposes and functions	

B. Medium/ Heavy Motor Vehicle Driving

The duration of the course in all segments is thirty eight hours in the span of six weeks. These are to be divided into two segments, Theory and Practical.

Theory – 16 hours

Theory Topics	Hours
Driving Theory	2
Traffic Education	2
Vehicle Mechanism Theory	2
Vehicle Maintenance & Repair	1
Public Relation	1
First Aid & Human Psychology	1
Road Rage & Stress Management	2
Cause & Type of Accidents, Driver's Responsibility in the event of Accident	2
AIDS awareness; Tobacco & Alcohol	1
Pollution and Environment	1
Driving Fuel Efficiency	1

Practical - 22 hours

Topic	Hours
Basic Driving Practice (in Driving Range)	2
Skill Driving Practice (in Driving Range)	4
Driving Practice in Rural and Highway Roads	3

Driving Practice in City Roads (in Dense and Lane Traffic)	3
Uphill & Downhill Driving	2
Reversing, Parking	2
Simulator Training (initiation, rain, fog, night etc.)	3
Driving Fuel Efficiency	1
Theory Test & Evaluation	2

1. DRIVING THEORY-II		
1	Qualities of a good driver	—Patience, responsibility, self-confidence, anticipation, concentration, courtesy, defensive driving, knowledge of road rules/regulations, knowledge of vehicle controls, maintenance and simple mechanism
2	Knowledge of vehicle controls	—Major controls —Minor controls
3	Response to controls	—Brake—Gradual /Sudden /Sudden fierce —Clutch —Steering
4	Pre-driving checks	(i) Before sitting on driver's seat, and (ii) after sitting on driver's seat.
5	Holding steering wheel	—Push and pull method practice —on the move —while gear changing —while turning —while sounding horn —while operating dash board switches —while signalling —on emergency
6	Gear changing	—Double de-clutching, importance and procedure single clutching —Gear up procedure, shifting to lower gears —Gear down procedure, shifting to higher gears
7	Beginning to drive	—I gear —II gear —III gear —IV gear —V gear —Reverse gear —Over drive/optional
8	M.S.M. and P.S.L. Routines	
9	Manoeuvres	—Passing —Merging —Diverging —Overtaking —Crossing —Turning —Cornering —Reversing —Parking
10	Stopping	—Normal stopping —Emergency stopping —Use of engine brake/ exhaust brake
11	Stopping distance	—Reaction distance —Braking distance
12	Following distance	—Meaning

		—Distance method —Car length method —2 seconds time rule method
13	Identification, prediction, decision and execution (IPDE) principle	
14	Defensive driving techniques	Judgment Anticipation Escape route
15	Night driving	Location of head light switch, Procedure, Obligation to light the lamps, restriction on lighting the lamps
16	Hill driving	Starting in hill using the parking brake method Slipping the clutch method, Driving uphill, Driving Downhill
17	Emergency manoeuvres	Prevention is better than cure in case of skidding, Horn, stuck, Fire, wheels coming out, Brake failure, Broken stub axle, Burst of front tyre, Steering, Wobbling, Snapping of steering linkages, Jamming of accelerator pedal, Snapping of clutch rod, Under special circumstances like chances of collision with a disabled vehicle, Brake failure during downhill, Sudden obstruction in front of the vehicle
18	Driving under special conditions In wet weather	In dawn, dusk and misty roads. In dense traffic
19	Towing (trailer driving)	Procedure On tow board, Speed of towing, Reversing and positioning the vehicle with trailers
20	Fuel saving methods	
21	Reports—discussions	

2. TRAFFIC EDUCATION-II		
1	Know your road	Functional classification, Design speeds, Road geometries, Surface types and characteristics, Slopes and elevation
2	Sight distance	At bends, At intersections
3	Road junctions	Principles and types, T junctions, Y junctions, 4-Arm junctions, Staggered junctions, Controlled junctions, Uncontrolled junctions
4	Traffic islands	Types of round about Channelisers, median
5	Bye-pass, subway, over-bridge and flyovers	Purpose, Driving Procedure
3. PUBLIC RELATIONS FOR DRIVERS		
Some basic aspects about ethical and courteous behaviour with other road users		

4. HEAVY VEHICLE DRIVING PRACTICE		
1	Introduction of various instruments	Dial gauges and controls.
2	Pre-driving checks	(i) Before sitting on driver's seat, and (ii) After sitting on driver's seat
3	Beginning to drive	Bitting point, moving, changing gear including double de-clutch steering, stopping, hand signals.
4	Rural road driving	Application of IPDE—principle
5	Development of judgment	Passing, overtaking, merging, diverging, M.S.M. and P.S.L. routine method of practice, defensive driving technique, proper following
6	Development of anticipation	Turning, meeting, entering and emerging in junctions, lane selection and lane discipline, intersection, observe horn

7	Developing skill to drive in crowded streets	
8	Night driving	
9	Cross country practice and hill driving	
10	Internal-trade test	
11	Reversing and parking practice	
12	Licensing.	
5. FIRE HAZARDS		
Fire-fighting and prevention methods on vehicle		

6. VEHICLE MAINTENANCE-		
1	Factors affecting the vehicle parts due to bad and negligent driving	
2	General day-to-day maintenance and periodical maintenance	
3	Battery maintenance	
4	Tyre maintenance and tube vulcanizing	
5	Engine tune up	
6	Checking wheel alignment	
7	Brake adjustment	
8	Accelerator, brake, clutch-pedal adjustment	
9	Fan belt adjustments	
10	Observation of dash-board meters	
11	Lubrication	
12	Removal of air lock and oil block	
7. FIRST-AID -		
1	Introduction to first-aid	
2	Outline of first-aid	
3	Structure and functions of the body	
4	Dressings and bandages	
5	The circulation of the blood	
6	Wounds and haemorrhage	
7	Haemorrhage from special regions	
8	Shock	
9	Respiration	
10	Injuries to bones	
11	Burning scales	
12	Unconsciousness (insensibility)	
13	Poisons	

C. Refresher/ Orientation courses

Refresher/ Orientation courses shall be of short duration of 2-3 days and may include the following topics:

- (i) Behavioural Practices & stress management;
- (ii) Defensive Driving Techniques;
- (iii) Traffic Rules and Regulations;
- (iv) Emergency handling techniques;
- (v) Maintenance & fuel conservation;
- (vi) Pollution and environment;
- (vii) Case studies on accidents to analyze the cause of accident, who was at fault and how it could have been averted.

A practical skill test and theoretical behavioural analysis test to be conducted for such drivers to understand and analyze their improvement areas and give special focus on those areas during the course of training. Simulators may be used to train & assess such drivers in particular.

(2) Apart from above mentioned courses, the center may also choose to provide courses and programs specializing in particular type of driving requirements like Vehicles carrying Dangerous or Hazardous goods, Fire Trucks, Ambulance, Chauffeur Driver, Delivery Van, Explosive and Sprinkler Trucks, Forklifts, Center Bus, Training Workshops. Whereas these operations require additional training requirement which can be addressed through these courses.

(3) The above courses should be in accordance with the National Skill Development Corporation (NSDC) and Standardization, Testing and Quality Certification (STQC) guidance and requirements.

(4) The attendance of the trainees should be strictly monitored and recorded through biometric system where the criterion for eligibility post training shall be eighty-five percent. Anyone not completing this criterion must be debarred from final evaluation and for shortage of attendance or failure in Driving Practice the training period may be extended as per requirement.

(5) The minimum criteria to pass the final evaluation of theory as well as practical is sixty percent and the trainees who passed the Driving Performance Test conducted by the Institute will be sent to Motor Vehicle Inspector for LMV/ HMV Driving License Endorsement.

(6) After passing in all Theory Papers and Motor Vehicle Inspector's Test, the Proficiency Test Certificate will be issued to the trainees and thereafter A copy of the passing certificate along with the necessary details of the trainees will also be sent to the concerned RTO for issuance of driving license.”.

6. In the said rules, in rule 32, in the Table, after serial number 13 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, -

"Serial No.	Purpose	Amount (Rs)	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Issue of accreditation to a driver training center for imparting instructions in driving.	Fifty Thousand	31(B)	12
15.	Issue of duplicate accreditation to a driver training center imparting instructions in driving.	Fifteen Thousand	31(D)	12
16.	In respect of an appeal against the orders of licensing authority referred to in rule 30.	Twenty Thousand	31(I)	12"

7. In the said rules, after Form 5A, the following Form shall be inserted, namely: -

"Form 5 B**[See Rule 31E]****DRIVING CERTIFICATE ISSUED BY ACCREDITED DRIVING TRAINING CENTER**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari.....son/wife/daughter of residing at..... was enrolled in this driver training center onand his/her name is registered as serial number..... in our register in Form 14 and that he /she has undergone course of training in driving of 1).....2).....3).....(Vehicle Class).

His Aadhaar Number is..... (applicable for availing exemption from driving test as per rule 15)

according to the syllabus prescribed for a period from..... to.....satisfactorily.

I am satisfied with his/her physical fitness and sense of responsibility.

Signature.....

Name and designation.....

Name and address of the driving training center with licence number and date of issue.”.

8. In the said rules, after Form 11, the following Form shall be inserted, namely: -

“Form 11 A**[See Rules 31(B) and 31(C)]****ACCREDITATION FOR DRIVER TRAINING CENTER**

Accreditation No _____

Accreditation is hereby granted for the establishment of a driver training center for imparting instructions in driving of motor vehicles specified below

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

By _____ (Name and address of the accreditation holder)

at _____ (premises of the school) the center being known as

the _____ subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

The accreditation is valid from _____ to _____

Dated _____

Designated authority

This accreditation is hereby renewed from _____ to _____

Name of the Designated authority

Seal and Signature of the Designated Authority. ”.

9. In the said rules, after Form 12, the following Form shall be inserted, namely:-

"Form 12 A

[See Rule 31B]

APPLICATION FOR ACCREDITATION OF DRIVER TRAINING CENTER

To

The Designated Authority,

The undersigned hereby applies for obtaining accreditation of Driver training centre for imparting training in driving of motor vehicle;

S No.	Subject	Particulars
1	Name of the Applicant	
2	Legal Status	
3	Date of registration / incorporation	
4	Mobile Number, Email ID	
5	Postal Address	
6	Name, Address and Aadhar Number of the Principal Officer	
7	In case of NGO, please furnish- 1. Date of registration on DARPAN Portal 2. Unique ID generated on DARPAN Portal	
8	Location of center	
9	Area of land on which project is proposed to be set-up	
10	Whether the land is free-hold/ lease-hold. Please attach the supporting document like purchase deed/ lease agreement	
11	Whether land is free from encumbrances?	
12	Please describe as to how the Centre will have competence to impart training to MHV's, LMV's and other drivers	
13	Whether the center has provisions for the following: i. Two Classrooms, ii. Office space, iii. HMV and LMV Simulators, Demonstration items for workshop, iv. Vehicles of each class of vehicle v. Driving tracks – automated/ non-automated, vi. Bio-metric attendance system, vii. Plan of operation, etc.	
14.	Registration number of each vehicle used for imparting training	1. 2. 3.
15.	Whether the vehicles used for imparting training are insured for trainee and trainer, if yes, (attach document)	

I have paid the fee of Rs.

Dated.....

Name of the Applicant

Signature and Seal ”.

10. In the said rules, after Form 13, the following Form shall be inserted, namely: -

“Form 13 A

[See Rules 31B and 31C]

APPLICATION TO RENEW ACCREDITATION OF DRIVER TRAINING CENTER

To

The Designated Authority,

The undersigned hereby applies for renewal of accreditation of driver training center for imparting instructions in driving of motor vehicles:

1. Full name of the applicant _____
2. Address _____
3. Place of business _____
4. Details of existing licence(s) _____
5. Date of issue _____
6. Period of validity _____

7. Details of State Authority audits carried out _____

8. Whether the application has been made before the expiry of existing licence, if not, the reasons for delay. _____

9. Whether the earlier accreditation was suspended/cancelled for any reason, details thereof such as date of suspension, reasons for such suspension/cancellation. Date of revocation of suspension/cancellation. _____

10. I have paid the fee of Rs _____

Signature of the applicant.”.

[F. No. RT-11036/137/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 343 (E) dated 25.05.2021.